उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

<u>आ दे श</u>

क्रमांक ....**बी / 4696**........../ जबलपुर, दिनाँक **27** सितम्बर, 2022
(तीन–18–1 / 2022)

(ए) जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ **श्रीमती सरिता सोनी**, उपप्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक जिला स्थापना, मण्डलेश्वर की पदोन्नति **प्रशासनिक अधिकारी** के पद पर, सातवें वेतनमान के अंतर्गत लेवल–12 के वेतनमान रुपये 56,100–1,77,500 में की जाकर, वर्तमान स्थापना से न्यायिक जिला **अलीराजपुर** की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है।

(बी) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ **श्री सुनील कुमार जैन**, लेखापाल, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी की पदोन्नति **उपप्रशासनिक अधिकारी** के पद पर, सातवें वेतनमान के अंतर्गत लेवल–9 के वेतनमान रुपये 36,200–1,14,800 में की जाकर, वर्तमान स्थापना से न्यायिक जिला, **रीवा** की स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है।

(सी) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 4527, दिनाँक 19.9.2022 की कंडिका–(बी) के सरल क्रमांक–1 पर अंकित श्री अमनप्रीत सिंह बग्गा, कोर्ट मैनेजर, सागर का न्यायिक जिला स्थापना, दतिया में किया गया स्थानान्तरण **दिनाँक 31.3.2023** तक **स्थगित** रखा जाता है। रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 4624, दिनाँक 22.9.2022 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में किया गया आसंजन संबंधी आदेश यथावत् रहेगा।

(डी) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 4527, दिनाँक 19.9.2022 की कंडिका–(सी) पर अंकित **श्री श्रीकांत नागर**, कोर्ट मैनेजर; न्यायिक जिला स्थापना, रीवा (वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर में आसंजित) का न्यायिक जिला स्थापना, सागर पर किया गया स्थानान्तरण एतद्द्वारा **निरस्त** कर, श्री श्रीकांत नागर को न्यायिक जिला स्थापना, **सीहोर** स्थानान्तरित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

27.9.2022

{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ.क्र. ....**सी / 4697**........... / जबलपुर, दिनाँक **27** सितम्बर, 2022
(तीन–18–1 / 2022)

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश; मण्डलेश्वर, अलीराजपुर, रीवा, सागर, दतिया, सीहोर;

(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय; शिवपुरी;

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर एवं

(4) रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि आपकी पदस्थापना से पदोन्नत / स्थानान्तरित कर्मचारियों को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर कंडिका–(ए) एवं (बी) में उल्लिखित कर्मचारियों को अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि वे नवीन पदस्थापना पर **दिनाँक 17.10.2022** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कंडिका–(डी) में उल्लिखित कोर्ट मैनेजर को स्थानान्तरित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि पूर्ववत् दिनाँक 01.10.2022 ही रहेगी।

यह भी अनुरोध है कि पदोन्नत / स्थानान्तरित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित प्रतिवेदन रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

27.9.2022

{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

* * * * *